

प्रषक्त

शिशिर सिन्हा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,

वित्त विभाग/जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/पथ निर्माण विभाग/कृषि विभाग/परिवहन विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/उद्योग विभाग/अनु० जाति एवं जन जाति कल्याण विभाग/भवन निर्माण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/विधि विभाग/शिक्षा विभाग/सूचना प्रावैधिकी विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/समाज कल्याण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/गन्ना उद्योग विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/श्रम संसाधन विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग/सहकारिता विभाग/कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/पर्यटन विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/पंचायती राज विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/वाणिज्यकर विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

विषय : मांग सं०-04 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रीगण-13 04-विद्युत प्रभार व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में निधि का आवंटन।

आदेश : 18,00,000/- (अठारह लाख) रू० संलग्न सूची के अनुसार सम्बन्धित विभागों को निधि के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रीगण-13 04-विद्युत प्रभार व्यय के उपबंधित राशि से होगा। जिसका कोड सं०-N2013008000001 है।

3. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2419 वि०(2), दिनांक-05.04.2007 के साथ पठित वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में अंकित किया जायगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है। सम्बन्धित विपत्र में आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख भी करना होगा कि इसके आधार पर सम्बन्धित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है। राशि का व्यय वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.98 में निहित निदेशों के अनुसार किया जायेगा।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के अन्य सभी प्रावधानों का अनुपालन पूर्ववत् रहेगा।

5. यदि आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में नहीं हो सके तो राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-30.03.2016 तक अवश्य कर दिया जाय, अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितताओं की सारी जिम्मेवारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

अनुलग्नक-संलग्न सूची।

विश्वासभाजन

(शिशिर सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापाक-3/सी०एस०एम० विविध-24/2015 328 पटना-15, दिनांक-19/5/2015
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-संलग्न सूची।

ज्ञापाक-3/सी०एस०एम० विविध-24/2015 328 पटना-15, दिनांक-19/5/2015
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/विकास भवन, पटना/विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई० टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।

अनुलग्नक-संलग्न सूची।

सरकार के प्रधान सचिव

मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-मत्रीगण-13 04-विद्युत प्रभार व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित राशि का विवरणी :-

क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16 में वर्तमान आवंटन की राशि (रु० में)
1.	वित्त	50,000/-
2.	जल संसाधन	50,000/-
3.	ऊर्जा	50,000/-
4.	पथ निर्माण	50,000/-
5.	कृषि	50,000/-
6.	परिवहन	50,000/-
7.	राजस्व एवं भूमि सुधार	50,000/-
8.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	50,000/-
9.	स्वास्थ्य	50,000/-
10.	ग्रामीण कार्य	50,000/-
11.	उद्योग	50,000/-
12.	अनुसूचित जाति/जन जाति कल्याण	50,000/-
13.	भवन निर्माण	50,000/-
14.	नगर विकास एवं आवास	50,000/-
15.	विधि	50,000/-
16.	शिक्षा	50,000/-
17.	सूचना प्रावैधिकी	50,000/-
18.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	50,000/-
19.	समाज कल्याण	50,000/-
20.	ग्रामीण विकास	50,000/-
21.	गन्ना उद्योग	50,000/-
22.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	50,000/-
23.	श्रम संसाधन	50,000/-
24.	पशु एवं मत्स्य संसाधन	50,000/-
25.	खान एवं भूतत्व	50,000/-
26.	सहकारिता	50,000/-
27.	कला, संस्कृति एवं युवा	50,000/-
28.	पर्यटन	50,000/-
29.	अल्पसंख्यक कल्याण	50,000/-
30.	पर्यावरण एवं वन	50,000/-
31.	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण	50,000/-
32.	पंचायती राज	50,000/-
33.	जल संसाधन	50,000/-
34.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध	50,000/-
35.	वाणिज्यकर	50,000/-
36.	योजना एवं विकास	50,000/-
	कुल योग	18,00,000/- (अठारह लाख रु०)

(हस्ताक्षर)

सहायक सचिव, विकास विभाग
मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग

५५

प्रेषक,

शिशिर सिन्हा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,

वित्त विभाग/जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/पथ निर्माण विभाग/कृषि विभाग/परिवहन विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/उद्योग विभाग/अनु० जाति एवं जन जाति कल्याण विभाग/भवन निर्माण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/विधि विभाग/शिक्षा विभाग/सूचना प्रावैधिकी विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/समाज कल्याण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/गन्ना उद्योग विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/श्रम संसाधन विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग/सहकारिता विभाग/कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/पर्यटन विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/पंचायती राज विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/वाणिज्यकर विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

विषय : मांग सं०-04 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रीगण-13 01-कार्यालय व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में निधि का आवंटन।

आदेश : 27,00,000/- (सताईस लाख) ₹० संलग्न सूची के अनुसार सम्बन्धित विभागों को निधि के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रीगण-13 01-कार्यालय व्यय के उपबंधित राशि से होगा। जिसका कोड सं०-N2013008000001 है।

3. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2419 वि०(2), दिनांक-05.04.2007 के साथ पठित वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में अंकित किया जायगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है। सम्बन्धित विपत्र में आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख भी करना होगा कि इसके आधार पर सम्बन्धित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है। राशि का व्यय वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.98 में निहित निदेशों के अनुसार किया जायेगा।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के अन्य सभी प्रावधानों का अनुपालन पूर्ववत् रहेगा।

5. यदि आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में नहीं हो सके तो राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-30.03.2016 तक अवश्य कर दिया जाय, अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितताओं की सारी जिम्मेवारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

अनुलग्नक-संलग्न सूची।

विश्वारंभाजन,

19/5/2015
(शिशिर सिन्हा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3/सी०एस०एम० विविध-23/2015 322 पटना-15, दिनांक-19/5/2015
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-संलग्न सूची।


ज्ञापांक-3/सी०एस०एम० विविध-23/2015 322 पटना-15, दिनांक-19/5/2015
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/विकास भवन, पटना/विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित। आई० टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय इस आवंटनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक-संलग्न सूची।

सरकार के प्रधान सचिव

मुख्य शीर्ष-2013-मन्त्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-मन्त्रीगण-13 01-कार्यालय व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित राशि का विवरणी :-

क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16 में वर्तमान आवंटन की राशि (रु० में)
1.	वित्त	75,000/-
2.	जल संसाधन	75,000/-
3.	ऊर्जा	75,000/-
4.	पथ निर्माण	75,000/-
5.	कृषि	75,000/-
6.	परिवहन	75,000/-
7.	राजस्व एवं भूमि सुधार	75,000/-
8.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	75,000/-
9.	स्वास्थ्य	75,000/-
10.	ग्रामीण कार्य	75,000/-
11.	उद्योग	75,000/-
12.	अनुसूचित जाति/जन जाति कल्याण	75,000/-
13.	भवन निर्माण	75,000/-
14.	नगर विकास एवं आवास	75,000/-
15.	विधि	75,000/-
16.	शिक्षा	75,000/-
17.	सूचना प्रावैधिकी	75,000/-
18.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	75,000/-
19.	समाज कल्याण	75,000/-
20.	ग्रामीण विकास	75,000/-
21.	गन्ना उद्योग	75,000/-
22.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	75,000/-
23.	श्रम संसाधन	75,000/-
24.	पशु एवं मत्स्य संसाधन	75,000/-
25.	खान एवं भूतत्व	75,000/-
26.	सहकारिता	75,000/-
27.	कला, संस्कृति एवं युवा	75,000/-
28.	पर्यटन	75,000/-
29.	अल्पसंख्यक कल्याण	75,000/-
30.	पर्यावरण एवं वन	75,000/-
31.	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण	75,000/-
32.	पंचायती राज	75,000/-
33.	लघु जल संसाधन	75,000/-
34.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध	75,000/-
35.	वाणिज्यकर	75,000/-
36.	योजना एवं विकास	75,000/-
कुल योग		27,00,000/- (सताईस लाख)


 मन्त्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रश्नक

शिशिर सिन्हा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,

वित्त विभाग/जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/पथ निर्माण विभाग/कृषि विभाग/परिवहन विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/उद्योग विभाग/अनु० जाति एवं जन जाति कल्याण विभाग/भवन निर्माण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/विधि विभाग/शिक्षा विभाग/सूचना प्रावैधिकी विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/समाज कल्याण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/गन्ना उद्योग विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/श्रम संसाधन विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग/सहकारिता विभाग/ कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/पर्यटन विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/पंचायती राज विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/वाणिज्यकर विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

विषय : मांग सं०-04 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रीगण-13 03-दूरभाष व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में निधि का आवंटन।

आदेश : 18,00,000/- (अठारह लाख) रू० संलग्न सूची के अनुसार सम्बन्धित विभागों को निधि के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रीगण-13 03-दूरभाष व्यय के उपबंधित राशि से होगा। जिसका कोड सं०-N2013008000001 है।

3. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2419 वि०(2), दिनांक-05.04.2007 के साथ पठित वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में अंकित किया जायगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है। सम्बन्धित विपत्र में आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख भी करना होगा कि इसके आधार पर सम्बन्धित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है। राशि का व्यय वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.98 में निहित निदेशों के अनुसार किया जायेगा।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के अन्य सभी प्रावधानों का अनुपालन पूर्ववत् रहेगा।

5. यदि आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में नहीं हो सके तो राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-30.03.2016 तक अवश्य कर दिया जाय, अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितताओं की सारी जिम्मेवारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

अनुलग्नक-सूची संलग्न।

विश्वासभाजन

10/5/15
(शिशिर सिन्हा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3/सी०एस०एम० विविध-25/2015

326

पटना-15, दिनांक-19/5/2015

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-सूची संलग्न।

ज्ञापांक-3/सी०एस०एम० विविध-25/2015

326

पटना-15, दिनांक-19/5/2015


प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/विकास भवन, पटना/विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई० टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।

अनुलग्नक-सूची संलग्न।

सरकार के प्रधान सचिव

मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-मंत्रीगण-13 03-दूरभाष व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित राशि का विवरणी :-

क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16 में वर्तमान आवंटन की राशि (रु० में)
1.	वित्त	50,000/-
2.	जल संसाधन	50,000/-
3.	ऊर्जा	50,000/-
4.	पथ निर्माण	50,000/-
5.	कृषि	50,000/-
6.	परिवहन	50,000/-
7.	राजस्व एवं भूमि सुधार	50,000/-
8.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	50,000/-
9.	स्वास्थ्य	50,000/-
10.	ग्रामीण कार्य	50,000/-
11.	उद्योग	50,000/-
12.	अनुसूचित जाति / जन जाति कल्याण	50,000/-
13.	भवन निर्माण	50,000/-
14.	नगर विकास एवं आवास	50,000/-
15.	विधि	50,000/-
16.	शिक्षा	50,000/-
17.	सूचना प्रौद्योगिकी	50,000/-
18.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	50,000/-
19.	समाज कल्याण	50,000/-
20.	ग्रामीण विकास	50,000/-
21.	गन्ना उद्योग	50,000/-
22.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	50,000/-
23.	श्रम संसाधन	50,000/-
24.	पशु एवं मत्स्य संसाधन	50,000/-
25.	खान एवं भूतत्व	50,000/-
26.	सहकारिता	50,000/-
27.	कला, संस्कृति एवं युवा	50,000/-
28.	पर्यटन	50,000/-
29.	अल्पसंख्यक कल्याण	50,000/-
30.	पर्यावरण एवं वन	50,000/-
31.	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण	50,000/-
32.	पंचायती राज	50,000/-
33.	लघु जल संसाधन	50,000/-
34.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध	50,000/-
35.	वाणिज्यकर	50,000/-
36.	योजना एवं विकास	50,000/-
कुल योग		18,00,000/- (अठारह लाख)


 शिशिर सिंघ
 सरकार के प्रधान सचिव
 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग।

प्रेषक,

शिशिर सिन्हा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,

जल संसाधन/वित्त एवं वाणिज्यकर/परिवहन/भवन निर्माण/राजस्व एवं भूमि सुधार/पर्यावरण एवं वन/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण/निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध/समाज कल्याण/पथ निर्माण/ग्रामीण कार्य/खान एवं भूतत्व/सहकारिता/श्रम संसाधन/स्वास्थ्य/लघु जल संसाधन/पर्यटन/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/गन्ना उद्योग/पशु एवं मत्स्य संसाधन/अल्पसंख्यक कल्याण/पंचायती राज विभाग बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-19/5/2015

विषय : मांग संख्या-04 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद् के अन्तर्गत मंत्रिगणों के वैवेकिक अनुदान हेतु वर्ष 2015-16 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य व्यय शीर्ष-2013 के अन्तर्गत मंत्रिगणों के वैवेकिक अनुदान हेतु संलग्न सूची में उनके नाम के सामने कॉलम-3 में अंकित राशि आवंटित किया जाता है।

2. आवंटित राशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-105-मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-उप शीर्ष-0002-मंत्रियों का वैवेकिक अनुदान-विषय शीर्ष-31 03-विवेकानुदान के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय है, जिसका विपत्र कोड N2013001050002 है।

3. वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2419 वि0(2), दिनांक-05.04.2007 के साथ पठित वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में अंकित किया जायगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है। सम्बन्धित विपत्र में विभाग द्वारा आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख भी करना होगा कि इसके आधार पर सम्बन्धित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है। राशि का व्यय वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.98 में निहित निदेशों के अनुसार किया जायेगा।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के अन्य सभी प्रावधानों का अनुपालन पूर्ववत् रहेगा।

5. यदि आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में नहीं हो सके तो राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-30.03.2016 तक अवश्य कर दिया जाय, अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितताओं की सारी जिम्मेवारी समबन्धित विभाग की होगी।

अनुलग्नक-संलग्न सूची।

विश्वासभोजन

(शिशिर सिन्हा) 18.5.15
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3/सी0 एस0एम0 / विविध-26 / 2015 ... 325 ... पटना-15, दिनांक-19/5/2015
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-संलग्न सूची।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3/सी0 एस0एम0 / विविध-26 / 2015 ... 325 ... पटना-15, दिनांक-19/5/2015
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/विकास भवन, पटना/विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0 टी0 मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय इस आवंटनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक-संलग्न सूची।

सरकार के प्रधान सचिव

मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-105-मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-31 03-विवेकानुदान अन्तर्गत के वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित राशि का सूची :-

1.	2. मंत्री का नाम	3. वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित राशि (रु० में)	4. स्थापना का प्रभावी विभाग
1.	श्री विजय कुमार चौधरी	5,00,000 / -	जल संसाधन
2.	श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव	5,00,000 / -	वित्त एवं वाणिज्यकर
3.	श्री रमई राम	5,00,000 / -	परिवहन
4.	श्री दामोदर रावत	5,00,000 / -	भवन निर्माण
5.	श्री नरेन्द्र नारायण यादव	5,00,000 / -	राजस्व एवं भूमि सुधार
6.	श्री प्रशांत कुमार शाही	5,00,000 / -	पर्यावरण एवं वन
7.	श्री श्याम रजक	5,00,000 / -	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
8.	श्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा	5,00,000 / -	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषध
9.	श्रीमती लेशी सिंह	5,00,000 / -	समाज कल्याण
10.	श्री राजीव रंजन सिंह	5,00,000 / -	पथ निर्माण
11.	श्री श्रवण कुमार	5,00,000 / -	ग्रामीण कार्य
12.	श्री राम लक्षण राम रमण	5,00,000 / -	खान एवं भूतत्व
13.	श्री जय कुमार सिंह	5,00,000 / -	सहकारिता
14.	श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी	5,00,000 / -	श्रम संसाधन
15.	श्री रामधनी सिंह	5,00,000 / -	स्वास्थ्य
16.	श्री मनोज कुमार सिंह	5,00,000 / -	लघु जल संसाधन
17.	श्री जावेद इकबाल अंसारी	5,00,000 / -	पर्यटन
18.	श्रीमती बीमा भारती	5,00,000 / -	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण
19.	श्रीमती रंजू गीता	5,00,000 / -	गन्ना उद्योग
20.	श्री वैद्यनाथ सहनी	5,00,000 / -	पशु एवं मत्स्य संसाधन
21.	श्री नौशाद आलम	5,00,000 / -	अल्पसंख्यक कल्याण
22.	श्री विनोद प्रसाद यादव	5,00,000 / -	पंचायती राज
कुल :-		1,10,00,000 / - (एक करोड़ दस लाख)	

(शिशिर सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

30